न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।
S.Tr.no.-37/2021
Bidupur Ps. Case no.-172/2020

धारा–302,120बी. भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।

07.06.2023 आज दिनांक 07.06.2023 को आवेदक प्रिंस कुमार की ओर से आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष उपाध्याय के माध्यम से दाखिल कराते हुये आवेदक स्वतः न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया। आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा मे लिया गया। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक पूर्व मे जमानत पर था तथा अभिलेख आरोप गठन हेतु नियत थी किंतु दिनांक 02.02.2023 को अनुपस्थिति के कारण बंध पत्र खंडित करते हुयें श्रीमान द्वारा गैर जमानतीय अधीपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आवेदक ने जानबूझकर गलती नहीं किया है बल्कि वह गरीब व्यक्ति है तथा रोजी–रोटी हेतु बाहर चला गया था। आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया कि वह न्यायालय के आदेश का पालन सदेव करेगा। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने की कृपा की जाये।

अभिलेख का अवलोकन किया एवं उभय पक्षो को सुना। आवेदक प्रिंस कुमार को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कि0मि0–22695/2021 मे दिनांक 30.09.2021 को जमानत की सुविधा प्रदान किया गया था तथा अवेदक द्वारा दिनांक 04.10.2021 को बंधपत्र दाखिल किया गया है तब से आवेदक जमानत पर मुक्त था। अभिलेख आरोप गठन हेतु नियत था, आवेदक की ओर से द0प्र0स0 317 का आवेदन प्रत्येक तिथि को दाखिल किया गया, साथ ही दिनांक 02.02.2023 को भी आवेदक की ओर से द0प्र0स0 317 का आवेदन दाखिल किया गया, जिसे अस्वीकृत किया गया तथा आवेदक के विरूद्ध गैर जमनतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया। आवेदक द्वारा आज दिनांक 07.06.2023 को इस न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया गया है। प्रस्तुत वाद मे आज दिनांक 07.06.2023 को आरोप का गठन किया गया। आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दाखिल किया गया

Copy not official ADJ I VAISHALI

न्यायालय–प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश।
व्यवहार न्यायालय, वैशाली, हाजीपुर।
S.Tr.no.-37/2021
Bidupur Ps. Case no.-172/2020

धारा–302,120बी. भा.द.वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट।

तथा आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक ने जानबूझकर गलती नही किया है। आवेदक द्वारा प्रार्थना किया गया है कि वह न्यायालय के आदेश का सदैव पालन करेगा एवं प्रत्येक तिथि पर उपस्थित रहेगा एवं गलती हेतु क्षमायाचना करता है। ऐसी स्थिति उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदक को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप आवेदक प्रिंस कुमार की ओर से 25,000 (पच्चीस हजार) रूपये के समान दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

(Deepak Kumar Singh)
Addl. Sessions Judge-I
Vaishali at Hajipur
07-06-2023

Web Copy not official
ADJ1 VAISHALI